पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3166 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनाँक 26/3/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नवीं * बैठक रविवार, दिनांक 22 मार्च, 2015 को पूर्वान्ह 12:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति — अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद — सदस्य
3. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान — सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह — सदस्य
5. डॉ. एस. सी. नैथानी — सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय — सदस्य
7. डॉ. मिताश्री मित्रा — सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला — सदस्य
9. डॉ. एम. आई. मेमन — सदस्य
10. डॉ. पी. सी. अग्रवाल — सदस्य
11. डॉ. आर. बाला. सुब्रामनियम — सदस्य
12. डॉ. एस. के. चक्रवर्ती — सदस्य
13. श्री ललित सुरजन — सदस्य
14. श्री सत्यनारायण शर्मा — सदस्य
15. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव — सचिव

-: कार्यवृत्त :-

विषय कमांक-1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय कमांक-2 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कमांक-3 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार संशोधन शामिल करते हुए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से विषय कमांक–2: शोध प्रबंध के परीक्षण में Plagiarism परीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकार योग्य सीमा अधिकतम 20 प्रतिशत होगा।

विषय कमांक–4 वित्तीय सत्र 2013–14 का वास्तविक आय–व्यय, 2014–15 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2015–16 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : वित्तीय सत्र 2013–14 का वास्तविक आय–व्यय, 2014–15 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2015–16 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–5 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–6 परीक्षा सत्र 2014–15 के लिए अनुचित साधन निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : परीक्षा सत्र 2014–15 के लिए अनुचित साधन निराकरण समिति में कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य के रूप में डॉ. भगवंत सिंह एवं संकाय के संकायाध्यक्ष के अंतर्गत डॉ. रोहिणी प्रसाद के नाम का अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद् की ओर से एक सदस्य नियुक्त करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विषय कमांक–7 पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपकरण मद में स्वीकृत राशि 25 लाख में से Ion chromatography उपकरण 15,50,000/– के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपकरण मद में स्वीकृत राशि 25 लाख में से Ion chromatography उपकरण 15,50,000/– के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय कमांक–8 भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा Spectroflourimeter उपकरण Rs. 9,33,974/- (US $ 15,000) के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा Spectroflourimeter उपकरण Rs. 9,33,974/- (US $ 15,000) के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय कमांक–9 विश्वविद्यालयों के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क की राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ–3–74/2014/38–2 दिनांक 09.01.2015 पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालयों के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क की राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ–3–74/2014/38–2 दिनांक 09.01.2015 के निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाये। समस्त सदस्यों का अभिमत है कि शासकीय–अशासकीय महाविद्यालय में भेदभाव किया जाना उचित प्रतीत नही होता अतः कार्य परिषद् के सदस्यों की भावना की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित करते हुए प्रकरण पुनः समन्वय समिति में रखने हेतु अनुरोध किया जाए।

विषय कमांक–10 दिनांक 06.02.2015 से 16.02.2015 तक कुल 13 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि, सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : दिनांक 06.02.2015 से 16.02.2015 तक कुल 13 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

–:पूरक विषय सूची :–

विषय कमांक–1 शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला द्वारा Directorate of Physical Education के Equipment/Computer/Other Machine मद से बास्केटबाल पोल/बोर्ड के लिए रु. 5,90,000/– के क्रय/निर्माण करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : बास्केटबाल पोल/बोर्ड के लिए रु. 5,90,000/– के क्रय/निर्माण करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–2 Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer एवं अन्य उपकरण कुल रु. 999070=00 के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer एवं अन्य उपकरण कुल रु. 999070=00 के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–3 दीक्षांत समारोह एवं पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ मानदेय के रूप में रु. 11,000/– प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : दीक्षांत समारोह एवं पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ मानदेय के रूप में रु. 11,000/– प्रदान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में दोनों कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ रूपए 11,000/– मानदेय प्रदान किया जावे।

विषय कमांक–4 Public Outreach Lecture हेतु प्रस्तावित मानदेय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : Public Outreach Lecture के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों/विद्वानों/प्राध्यापकों के व्याख्यान में उपस्थित प्रमुख वक्ता/अतिथि को रूपए 2500/– मानदेय प्रदान किया जावे।

विषय कमांक–5 एल.एल.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 180 में प्रस्तावित संशोधन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एल.एल.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 180 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–6 रूंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई में विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : रूंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई में विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. संजीत कुमार साहू के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–7 ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, अनुसार डॉ. हरे कृष्णा के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–8 उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल, जामुल भिलाई, जिला–दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल, जामुल भिलाई, जिला–दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, अनुसार डॉ. (श्रीमती) प्रावती दास के नाम का अनुमोदन किया गया।

:– अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा शोध पत्रिका का नियमित प्रकाशन हो तथा आवश्यकतानुसार त्रैमासिक/मासिक प्रकाशन की व्यवस्था हो।
2. विभागीय शोध समिति की बैठक में बाह्य विशेषज्ञ को आमंत्रित कर शामिल किया जावे।
3. नैक के मापदण्ड के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा के अंतर्गत अशासकीय महाविद्यालयों के भॉति शासकीय महाविद्यालयों का भी निरीक्षण कराया जावे तथा निरीक्षण के पश्चात् जानकारी, उच्च शिक्षा विभाग एवं राजभवन भेजी जावे।
4. संबद्धता आदेश में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति हेतु निर्धारित तिथि के अंदर संबंधित महाविद्यालय द्वारा पालन प्रतिवेदन आवश्यक है।
5. माननीय कार्य परिषद् सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा के प्रकरण पर अपील के संबंध में, बिंदुवार जानकारी के साथ पत्र प्रस्तुत किया। निर्णय लिया गया कि प्रकरण अपील पर तथ्यात्मक जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

डॉ. मिताश्री मित्रा, डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल एवं डॉ. एम. आई. मेमन का कार्य परिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है, माननीय सदस्यों ने विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के पद पर संबंधित विभाग/महाविद्यालयों के कार्यो के साथ–साथ विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निकाय कार्यपरिषद् में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण सुझाव एवं सहयोग प्रदान किया। जिसके लिए कार्यपरिषद् सदस्यों के द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 3167/अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक 26/3/2015

प्रतिलिपि :–1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)